



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112020-223191
CG-DL-E-19112020-223191

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3635]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942

No. 3635]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

विषय: सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 - आदेश के हित को आगे बढ़ाते हुए ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित करने के संबंध में

का.आ. 4136(अ).—भारी उद्योग विभाग एतद्वारा अधिसूचित करता है कि सार्वजनिक क्रय (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 के, जिसके विस्तार में भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं. का.आ. 5807, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 और अधिसूचना सं. का.आ. 3716(अ), दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 के प्रकाशन के माध्यम से ऑटोमोबाइल और ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित किया गया था, एतद्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

[फा.सं. 12(39)/2018-ए ई आई (15446)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**(Department of Heavy Industry)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November 2020

Subject: Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017 – Notifying Automobile and Automotive Components in furtherance of the order –reg.

S.O. 4136(E).—The department of Heavy Industry hereby notifies that the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- **Notifying Automobile and Automotive Components in furtherance of the order**, published vide Gazette of India Notification No S.O. 5807 dated 19th November, 2018 and Notification No. S.O. 3716 (E) dated 20th October, 2020 are hereby withdrawn with immediate effect.

[F. No. 12(39)/2018-AEI (15446)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.